विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 329 दुर्ग, दिनांक - 23/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 124
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई

आवेदक

बी.पी. क्रमांक : **1001925742**

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001925742, स्वीकृत भार 13 किलोवाट, के विद्युत बिल में त्रुटि होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का मुख्य कथन है कि संबंधित अवधि में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग उचित रूप से नहीं की गई तथा मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान की गई औसत बिलिंग एवं कैपेसिटर / पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है। साथ ही, स्वीकृत भार को 13 किलोवाट से घटाकर 10 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों से निम्न तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होते हैं –

1. संबंधित विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के सड़क बत्ती प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 13 किलोवाट है।

3. संबंधित कनेक्शन में वर्ष 07/2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा मुख्यतः निम्न शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं /–

1. माह 11/2023 से 05/2024 की अवधि में 1251 यूनिट की खपत के आधार पर बिलिंग की गई, जबकि मीटर की वास्तविक स्थिति एवं रीडिंग का समुचित सत्यापन नहीं किया गया।

2. संबंधित अवधि की असेसमेंट/बिलिंग को वास्तविक मीटर स्थिति एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए।

3. सड़क बत्ती कनेक्शन के संबंध में लगाए गए कैपेसिटर/पावर फैक्टर संबंधी सरचार्ज की वसूली का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

4. वर्तमान स्वीकृत भार 13 किलोवाट को घटाकर 10 किलोवाट किया जाना है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा संबंधित कनेक्शन का 04/2018 से 06/2026 तक का बिलिंग डाटा, मीटर संबंधी अभिलेख तथा बिलिंग गणना पत्रक फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर मीटर की स्थिति, संबंधित अवधि की औसत खपत तथा बिलिंग का परीक्षण किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं –

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि की बिलिंग में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

2. क्या उक्त अवधि में लगाए गए कैपेसिटर/पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाना उचित है?

3. क्या आवेदक के अनुरोधानुसार स्वीकृत भार 13 किलोवाट से घटाकर 10 किलोवाट किया जा सकता है?

4. आवेदक को किस प्रकार की राहत प्रदान किया जाना उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का परीक्षण किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं –

6.1 मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि की बिलिंग

अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य सामने आता है कि संबंधित कनेक्शन में स्थापित मीटर अप्रैल 2022 से जून 2024 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में कनेक्शन की औसत खपत 1251 यूनिट के आधार पर बिलिंग की जाती रही।

मीटर डिफेक्टिव पाए जाने के पश्चात उसे जून 2024 में बदल दिया गया। मीटर परिवर्तन के पश्चात संबंधित कनेक्शन की औसत खपत लगभग 1470 यूनिट पाई गई।

अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं मीटर परिवर्तन के पश्चात प्राप्त वास्तविक खपत के आधार पर, डिफेक्टिव मीटर की अवधि के लिए औसत खपत को 1470 यूनिट के आधार पर पुनर्गणना किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलतः अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि डिफेक्टिव मीटर की संबंधित अवधि की बिलिंग को 1470 यूनिट की औसत मासिक खपत के आधार पर नियमानुसार पुनर्गणित कर बिल में आवश्यक संशोधन करें।

6.2 कैपेसिटर सरचार्ज

अभिलेखों से यह भी पाया गया कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान संबंधित कनेक्शन पर कैपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग की गई है।

चूंकि उक्त अवधि में मीटर की स्थिति डिफेक्टिव थी तथा वास्तविक विद्युत पैरामीटर/रीडिंग के आधार पर संबंधित सरचार्ज की गणना का समुचित आधार अभिलेखों से स्थापित नहीं होता है, अतः उक्त अवधि के दौरान लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त कर बिलिंग में आवश्यक संशोधन किया जाना उचित है।

6.3 स्वीकृत भार में कमी

आवेदक द्वारा वर्तमान स्वीकृत भार 13 किलोवाट से घटाकर 10 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

स्वीकृत भार में कमी हेतु उपभोक्ता द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अतः अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा भार कम करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्वीकृत भार को 10 किलोवाट किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है –

1. संबंधित कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001925742, में मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि की बिलिंग को मीटर परिवर्तन के पश्चात प्राप्त औसत खपत 1470 यूनिट के आधार पर, लागू नियमों के अनुसार पुनर्गणित किया जाए।

2. मीटर के डिफेक्टिव रहने की संबंधित अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त कर बिलिंग में आवश्यक संशोधन किया जाए।

3. आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 13 किलोवाट से घटाकर 10 किलोवाट किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

4. उपरोक्त संशोधन के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई राशि अतिरिक्त जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग